न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 139 / 2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

सचिन पुत्र ओमप्रकाश, जाति जाट, उम्र 32 साल, निवासी नारी, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रकरण सं0 441 / 2020 धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधि0 व 285 आईपीसी मे जप्त माल के निस्तारण के आदेश लेने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.05.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2020 को श्री अरूण कुमार आरपीएस प्रो0 थानाधिकारी चिडावा मय महेश कुमार उनि0 मय सरकारी वाहन चालक जोगेन्द्र कानि0 530 के समय 11.28 एएम पर वास्ते गश्त इलाका व लोकल स्पेशल एक्ट कार्यवाही रवाना इलाका थाना हुआ। मन थानाधिकारी गश्त कस्बा चिडावा, रेल्वे स्टेशन, अरडावता करता हुआ समय 12.45 पर मौजा नारी पहुंचा जहां पर जरिये मुखबीर खास ईतला मिली की सचिन पुत्र ओमप्रकाश जो हल्के नीले रंग की जींस व नीले रंग की शर्ट पहने है गांव के मुख्य चौक पर ओजटू की ओर जाने वाले रास्ते पर भवानी राजपूत की दुकान के बाहर दो ड्रमों मे अवैध रूप से डीजल का बेचान कर रहा है। क्यांकि मुखबीर ईतला खास है मुखबीर द्वारा दी गई ईतला का सत्यापन किया जाना है। ईतला से हमराहीयान को अवगत कराया जाकर मन थानाधिकारी मय जाप्ता के रवाना होकर समय 1.10 पीएम पर मुख्य चौक पारी पहुंचा तो एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति दो ड्रमों के साथ बैठा दिखाई दिया जो मन थानाधिकारी व हमराही जाप्ता को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसे मन आरपीएस प्रो0 व हमराही जाप्ता ने घेरा दकर पकडकर नाम पता पूछा तो अपना नाम सचिन पुत्र ओमप्रकाश, जाति जाट, उम्र 32 साल, निवासी नारी होना बताया। उक्त व्यक्ति को भागने का कारण पूछा तो सकपकाते हुए बताया की मै अवैध रूप से डीजल बेच [illegible] इसलिए डर के मारे भाग गया था। शख्स को हमरा लेकर ड्रमों के पास पहुंचा तो दुकान [illegible] एक लाल रंग का ड्रम जिस पर Quantily 210 Ltr व अंग्रेजी मे Panama Petrolem [illegible]D लिखा हुआ है जिसके उपर पेट्रोल / ऑयल निकालने की हाथ से [illegible] युक्त मशी[illegible] हुई है। मशीन पर अंग्रेजी मे MARCO लिखा हुआ है [illegible] आयल निकाल[illegible] मशीन को हटाकर चैक किया तो करीब एक तिहाई हिस्सा लगभग 70 लीटर डीजल भरा हुआ है। इसके पास ही एक नीले रंग का ड्रम पडा हुआ है जिस पर एक 5 लीटर का नाप एवं एक 10 लीटर का नाप एवं एक कीप रखा हुआ है। ड्रम के उपर अंग्रेजी मे Gandhar Oil लिखा हुआ है। कीप व नाप को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हटाकर ड्रम का ढक्कन हटाकर चैक किया तो ड्रम मे लगभग 50 लीटर डीजल भरा हुआ है। शख्स सचिन को इतनी मात्रा मे डीजल बेचने बाबत अनुज्ञा पत्र या लाईसेन्स बाबत पूछा गया तो अपने पास डीजल बेचान संबंधी अनुज्ञा पत्र दस्तावेज होना नही बताया। पूछने पर बताया की हरियाणा मे डीजल सस्ता है वहां से डीजल यहां जाकर बेच कर मुनाफा कमाता हूं। शख्स द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बिना सुरक्षा उपायों के ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ का बेचान किया जा रहा था। शख्स द्वारा इतनी मात्रा मे बिना सुरक्षा उपायों के एवं बिना अनुज्ञापत्र के डीजल का बेचान करना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ वर्जी मय 285 भादस मे पाया जाने पर शख्स के कब्जे मे मिले दोनों ड्रमों से 750–750 एमएल डीजल बतौर वजह सैम्पल कांच की बोतल मे पृथक–पृथक लिया जाकर क्रमशः शील्ड मोहर कर मार्क ए व बी अंकित किया गया। शेष बचा डीजल उन्ही ड्रमों मे शील्ड मोहर कर मार्क ए 1 व बी 1 अंकित किया गया। प्रकरण मे मुलजिम सचिन को जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है। फर्द पर नूमना शील अंकित की गई। वापसी थाना पर अभियोग नियमानुसार पंजीबद्व करवाया जावेगा। फर्द जप्ती हस्ब कायदा मूर्तिब कर मुतालकिन को पढकर सुनाई गई। सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। नोट घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नही होने के कारण हमराही जाप्ता से मौतबीर मामूर किये गये। उपरोक्त फर्द जप्ती मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मय जप्त शुदा डीजल के वापसी थाना पर प्रकरण सं0 441/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 285 आईपीसी मे पंजीबृद्व किया गया। अतः जप्त माल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से दो ड्रम क्रमशः एक लाल रंग का व एक नीले रंग का, पेट्रोल/ऑयल निकालने की हाथ से चलाने वाली लाल रंग की हैंडल युक्त मशीन, 120 लीटर डीजल, एक 5 लीटर का नाप, एक 10 लीटर का नाप एवं एक कीप जप्त किये गये है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स डीजल के विक्रय बाबत नही था। उक्त डीजल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा दो ड्रम क्रमशः एक लाल रंग का व एक नीले रंग का, पेट्रोल/ऑयल निकालने की हाथ से चलाने वाली लाल रंग की हैंडल युक्त मशीन, 120 लीटर डीजल, एक 5 लीटर का नाप, एक 10 लीटर का नाप एवं एक कीप के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे डीजल विक्रय का अवैध कृत्य किया है। अप्रार्थी फिर कभी ऐसा कृत्य नही करेगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी [illegible] के दौरान स्वीकार किया है कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी [illegible] कृत्य किया है। साथ ही प्रकरण मे पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से [illegible] के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस पेट्रोल का निस्तारण किया जा[illegible] समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये दो ड्रम क्रमशः एक लाल रंग का व एक नीले रंग का, पेट्रोल/ऑयल निकालने की हाथ से चलाने वाली लाल रंग की हैंडल युक्त मशीन, 120 लीटर डीजल, एक 5 लीटर का नाप, एक 10 लीटर का नाप एवं एक कीप को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2)के तहत अधिहरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा दो ड्रम क्रमशः एक लाल रंग का व एक नीले रंग का, पेट्रोल/ऑयल निकालने की हाथ से चलाने वाली लाल रंग की हैंडल युक्त मशीन, 120 लीटर डीजल, एक 5 लीटर का नाप, एक 10 लीटर का नाप एवं एक कीप का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, चिडावा को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested